ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट झारखण्ड–2018

29–30 नवंबर, 2018, राँची, झारखण्ड

झारखण्ड सरकार

माननीय श्री रघुवर दास
मुख्यमंत्री, झारखण्ड

कृषि सिंगल विंडो केन्द्र

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड

किसान सिंगल विंडो सेन्टर

अवधारणा

कृषि सिंगल विण्डो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संकल्पिक अवधारणा है, एवं इसके अन्तर्गत कृषकों को एक स्थल पर कृषि एवं कृषि से संबंधित विभागों यथा पशुपालन, मत्स्य पालन, गव्यपालन, आत्मा, भूमि संरक्षण, उद्यान, कृषि आदि से संबंधित जानकारी एवं सेवाएँ प्राप्त करने की सोच निहित है। इसके अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाएँ – मृदा स्वास्थ्य कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज, खाद, कीटनाशी, सूक्ष्म सिंचाई, कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति, कृषि उपकरण, खेती हेतु सलाह, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई सुविधा, कृषि विज्ञान केन्द्र, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन संबंधित योजनाएँ कृषि उत्पादनों का दर संबंधी सूचना। ऐसे 260 किसान सिंगल विंडो सेन्टर कृषि सेवा केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।

किसान सिंगल विंडो सेन्टर क्या है?

कृषकों के कठिनाईयों को दूर करने के लिए सेन्टर की स्थापना की गई है, ताकि किसान एक स्थान पर, कम समय में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं नई तकनीक की जानकारी प्राप्त कर सके।

प्रत्येक प्रखण्ड स्तर पर किसान सिंगल विंडो सेन्टर की स्थापना की गई है।

किसान सिंगल विंडो सेन्टर में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के (सभी प्रभागों) सभी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक की सेवाएं किसान सिंगल विंडो सेन्टर में सुनिश्चित की जाती है। तथा समय–समय पर विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध करायी जाती है।

किसान सिंगल विंडो सेन्टर कैसे कार्य करता है?

किसान सिंगल विंडो सेन्टर में प्रतिदिन 8 घंटे कृषकों को सेवा उपलब्ध कराई जाती है। प्रतिदिन 9 से 5 बजे अपराह्न तक रहती है। कृषकों के आवश्यकता अनुरूप जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

सेन्टर में प्रखंड तकनीकी प्रबंधन के साथ प्रखंड कृषि पदाधिकारी/समकक्ष जनसेवक, पशुपालन, मत्स्य, गव्य, उद्यान, भूमि संरक्षण के पदाधिकारी/कर्मचारी भी सेन्टर के अनुसार 9 से 5 बजे अपराह्न तक कार्य सम्पादन में सहयोग करते हैं।

किसान सिंगल विंडो सेन्टर में कृषकों को मिलने वाली सुविधाएँ

मृदा स्वास्थ्य कार्ड – कृषक के खेत से मिट्टी का नमूना प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र से प्राप्त कर मिनी स्वाइल टेस्टिंग लैब में जाँच करा कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड कृषकों को तुरंत उपलब्ध कराया जाता है।

किसान क्रेडिट कार्ड – सम्पर्क पदाधिकारी प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक कृषक मित्र के द्वारा समर्पित आवेदन को जाँचोपरांत सेवा क्षेत्र के बैंक को स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

बीज, खाद, किटनाशी – कृषक से संबंधित सेवा क्षेत्र में अवस्थित लैम्पस/पैक्स में उपलब्ध खाद एवं बीज की पूर्ण विवरणी कृषक को उपलबध करायी जाती है तथा इसकी उपलब्धता कृषकों को सुनिश्चित की जाती है।

सूक्ष्म सिंचाई – प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक कृषक मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरेंगे तथा ऑनलाइन स्वीकृति की सूचना संबंधित कृषक को उनके मोबाइल पर SMS के माध्यम से उपलब्ध होती है।

कृषि उपादानों के व्यापार हेतु अनुज्ञप्ति – सम्पर्क पदाधिकारी/प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक/सहायक तकनीकी प्रबंधक/कृषक मित्र के द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा जिसकी स्वीकृति उपरान्त SMS द्वारा किसानों को दी जाती है।

कृषि उपकरण – कृषक के भाग के अनुसार कृषि उपकरण की उपलब्धता की जानकारी कृषक को उपलब्ध करायी जाती है।

खेती हेतु सलाह – मौसम की भविष्यवाणी एवं तदनुसार फसल के संबंध में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों का विशेषज्ञ सलाह कृषकों को तत्काल कराया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना – कृषकों से प्राप्त आवेदन पत्र को जाँचोपरांत संबंधित बीमा कंपनी को स्वीकृति हेतु भेजी जाएगी तथा स्वीकृति की सूचना कृषकों को दी जाती है।

सिंचाई सुविधा – कृषकों के उपलब्ध सिंचाई सुविधा की समीक्षा के उपरांत सिंचाई सुविधा विस्तार हेतु भूमि संरक्षण के स्थानीय कार्यालय को आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु प्रेषित करते हैं।

कृषि ज्ञान केन्द्र – कृषि एवं संबंधित नवीनतम सूचनाएँ/योजना आदि की जानकारी कृषकों को उपलब्ध कराई जाती है।

पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन संबंधित सूचनाएँ – पशुपालन/डेयरी/मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं से लाभ हेतु आवेदन पत्र जिला स्तरीय पदाधिकारी को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।

कृषि उत्पादों का दर संबंधी सूचना – विभिन्न मंडियों में विभिन्न कृषि उत्पादों/अनाजों की प्रतिदिन की दर संबंधी सूचना किसान सिंगल विंडो सेन्टर पर उपलब्ध कराया जाता है।

किसान सिंगल विंडो सेन्टर का संचालन – कृषि एवं बागवानी क्षेत्र के ख्याति प्राप्त संस्थानों द्वारा किया जाएगा एवं राज्य सरकार द्वारा संस्थानों को सहयोग प्रदान किया जाता है।

किसान कॉल सेन्टर – 1800-180-1551 (नि:शुल्क सेवा)
किसान सहायता कोषांग :7632996429
राज्य स्तरीय कृषि प्रबंधन प्रसार-सह-प्रशिक्षण संस्थान (समेति) झारखण्ड
कृषि भवन, द्वितीय तल, कांके रोड, राँची-834008

आलेख : डा. एम. एस. ए. महालिंगा शिवा, निदेशक समेति, झारखण्ड एवं
अभिषेक तिर्की, संकाय कृषि प्रसार प्रबंधन, समेति, झारखण्ड

651_(11-18) Annapurna Press ☎ 0651-2331800
e-mail : appranchi.1969@gmail.com

''किसानों की आय दोगुनी करने'' संबंधित प्रकाशन श्रृंखला

@ सर्वाधिकार सुरक्षित